

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्रांक-01/विविध-08-27/2020, परि0

प्रेषक,

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

2237,

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।

पटना, दिनांक- 20-4-20

विषय- COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रभावी लॉकडाउन के दौरान E-commerce कंपनियों के द्वारा केवल आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के अनुमति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि COVID-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु लॉकडाउन की अवधि दिनांक-03.05.2020 तक विस्तारित की गयी है। उक्त क्रम में भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या-40-3/2020-DM-1(A), दिनांक-15.04.2020 के कंडिका-14 (V) द्वारा e-commerce कंपनियों के सामग्रियों के परिवहन की अनुमति दी गई थी।

पुनः भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पत्र संख्या-40-3-2000-DM-1 (A) दिनांक-19.04.2020 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा पूर्व के निर्देश में संशोधन किया गया है एवं निदेश दिया गया है कि "While operation of e-commerce companies for non essential goods stands prohibited however they will continue to operate for essential goods as has been allowed earlier and continue to be allowed under clause 13 (i) of these guidelines"

अनुरोध है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय के संशाधित आदेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

अनु0-यथोक्त।

विश्वसिभाजन

20/4

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-01/विविध-08-27/2020, परि0

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/4

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-01 / विविध-08-27 / 2020, परि0

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग / प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी पुलिस महानिरीक्षक / सभी पुलिस उपमहानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/20/4
सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-01 / विविध-08-27 / 2020, परि0

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार / पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

6/20/4
सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

2

202
AJAY BHALLA, IAS



54

गृह सचिव
Home Secretary
भारत सरकार
Government of India
North Block,
New Delhi

D.O. 40-3/2020-DM-I(A)

Dated: 19th April, 2020

Dear *Chief Secretary,*

Please refer to MHA Order No. 40-3/2020-DM-I(A) dated 15th April 2020 & 16th April 2020, vide which consolidated revised guidelines on the measures to be taken by the Ministries/ Departments of the Government of India, State/UT Governments and State/UT Authorities for containment of COVID-19, has been circulated for the strict implementation in all parts of the Country.

2. Vide Order of even number dated 19th April, 2020, ***clause 14(v) of the consolidated revised guidelines, relating to E-commerce companies has been excluded.*** In this regard I would like to clarify that while operations of e-commerce companies for non-essential goods stands prohibited, ***however they will continue to operate for essential goods as has been allowed earlier and continue to be allowed under clause 13(i) of these guidelines.***

3. You are therefore requested to clarify this to all the field agencies and also adequately disseminate amongst the general public so as to ensure smooth movement of the entire supply chain of essential goods, including by e-commerce. The guidelines/ Orders issued by the State Governments/ UT Administration in pursuance to MHA Orders may please be suitably modified to reflect the correct position.

With regards,

Yours sincerely


(Ajay Bhalla) 19/4/2020

To
The Chief Secretaries of States.
(As per list attached)